

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक 659/2012
संस्थापित दिनांक 23/08/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. बीनू उर्फ विनोद उर्फ सुकांत पुत्र
मदनलाल गोयल उम्र 30 वर्ष निवासी
सयाला बाजार मुरार ग्वालियर म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 341, 506 भाग 2 एवं 323 भा.दं.सं)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण शिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता— श्री बी.एस.यादव।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 09 / 03 / 17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 16/03/12 को नवोत्थान स्कूल के बगल में मील के सामने गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी श्वेता कुमारी को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, श्वेता कुमारी को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादिया श्वेता को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादिया श्वेता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 294, 341, 506 भाग 2 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया श्वेता नवोत्थान विद्यालय में शिक्षण का कार्य करती है। आरोपी बीनू उर्फ विनोद उसकी सहेली शिल्पी के मामा का लड़का है। उसकी आरोपी से सहेली शिल्पी के कारण पहचान थी। आरोपी बीनू उर्फ विनोद ने एक बार उससे मोबाइल पर शादी करने की बात की थी तो उसने मना कर दिया था। इस बात पर नाराज होकर आरोपी बीनू दिनांक 16/03/12 को सुबह करीबन 9 बजे जब वह थाने के पास स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी तो सफेद रंग की कार लिये हुये उसे स्कूल के पास खड़ा मिला था। आरोपी ने उसे रोका और उससे अपने साथ चलने को कहा था। उसने आरोपी के साथ चलने से मना कर दिया था तो आरोपी बीनू ने उसके गाल में चांटा मार दिया था उसे गंदी-गंदी गालियां दी थीं। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने स्कूल में यह बात अपने सर चंद्रभान को बतायी थी, उसके पिता व भाई घर पर नहीं थे। पिता व भाई के घर पर आने के बाद उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थान गोहद में अपराध क्र. 57/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण

में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16/03/12 को सुबह करीबन नौ बजे नवोत्थान स्कूल के बगल में नील के पास गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादिया श्वेता कुमारी को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्वेताकुमारी को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्वेता कुमारी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया?
4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्वेता कुमारी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी श्वेता अ.सा. 1, कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3, पंकज गुप्ता अ.सा. 4 एवं एन.सी.यादव अ.सा. 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 16/03/12 के सुबह आठ-नौ बजे की है। वह स्कूल में पढ़ने जा रही थी तो आरोपी बीनू उर्फ विनोद मारुती कार से आया था। आरोपी उससे गाली-गलोज करने लगा था। आरोपी ने उसे साली और बहन की लॉडी, कुतिया की गालियां दी थीं। साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2 ने भी आरोपी द्वारा फरियादी श्वेता को गंदी-गंदी गालियां देना बताया है। शेष साक्षीगण द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं दिया गया है।

8. इस प्रकार फरियादी अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी द्वारा साली, बहन की लॉडी, कुतिया की गालियां देना बताया है, परंतु यह बात कि आरोपी ने उसे गालियां दी थीं। फरियादिया द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बतायी गयी है। प्रदर्श पी 1 की प्रथमसूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि आरोपी ने फरियादिया श्वेता को बहन की लॉडी, कुतिया की गालियां दी थीं। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा बहन की लॉडी, कुतिया की गालियां देना बताया है, परंतु यह बात साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 एवं पंकज गुप्ता अ.सा. 4 द्वारा नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी श्वेता अ.सा. 1 के कथन साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3, पंकज गुप्ता अ.सा. 4 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो उक्त बिंदु पर फरियादी श्वेता के कथनों को अविश्वसनीय बना देते हैं।

9. फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 ने आरोपी द्वारा उसे गालियां देना बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गयी गालियों को सुनकर उसे क्षोभ उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में भा.दं.सं की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 294 के आरोपी से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है।

11. इस प्रकार फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा.दं.सं. की धारा 506 भाग 2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी तुच्छ धमकियों से भा.दं.सं. की धारा 506 भाग 2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा.दं.सं. की धारा 506 भाग 2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 4

12. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

13. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी सहेली शिल्पी उर्फ मोनिका के मामा का लड़का है। वह नव उत्थान विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। घटना दिनांक 16/03/12 के सुबह आठ-नौ बजे की है वह स्कूल पढ़ाने जा रही थी तो आरोपी बीनू उर्फ विनोद मारुती कार से आया था तो उसे कहा था कि वैन में आकर बैठ जाओ उसने आरोपी के साथ वैन में जाने से मना कर दिया था तो आरोपी ने उसके उल्टे गाल में चांटा मारा था फिर आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे वैन में बिठाने लगा था तो वह चिल्लाई थी। मौके पर हनी एवं गोलू उसे बचाने आये थे। आरोपी ने उसे जोर से धक्का दिया था जिससे वह सड़क पर गिर गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसके साथ कोई नहीं था। घटना जनता मील के पास हुयी थी जहां कम लोग आते थे। पद क्र. 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी उसे रोड पर स्कूल के पास मिली थी। वह साढ़े नौ बजे स्कूल पहुंच गयी थी। हनी को वह मोहल्ले के नाते जानती है। हनी और गोलू घटना स्थल पर आ गये थे। पद क्र. 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह थाने पर रिपोर्ट करने 19 तारीख को गयी थी। वह घटना से घबरा गयी थी उसके पापा और भाई घर पर नहीं थे। उसने पापा और भाई घर पर आने पर रिपोर्ट की थी। घटना के बाद वह स्कूल गयी थी। उसने स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रभान सिंह को घटना के बारे में बताया था। पद क्र. 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि हनी और गोलू उसे स्कूल छोड़कर अपने काम से चले गये थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बीच बचाव करने वाले व्यक्ति आरोपी के जाने के बाद आये थे। आरोपी ने हनी और गोलू को देख लिया था। इस कारण वह भाग गया था। उसे जानकारी नहीं है कि घटना वाले दिन उसके पिता व भाई कहां गये थे। पद क्र. 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी ने उसे चार चांटे मारे थे। चांटे से उसका गाल लाल पड़ गया था।

14. साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 एवं पंकज गुप्ता अ.सा. 4 ने भी फरियादी श्वेता के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा श्वेता के गाल में चांटा मारने बाबत प्रकटीकरण किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से की गयी है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह स्कूल में पढ़ाने जा रही थी तो आरोपी बीनू उर्फ विनोद मारुती कार से आया था और उससे आकर वैन में बैठने के लिए कहा था। उसने मना किया था तो आरोपी ने उसके उल्टे गाल पर चांटा मारा था और उसे जबरदस्ती पकड़कर वैन में बिठाने लगा था। वह चिल्लाई थी तो मौके पर हनी और गोलू बचाने आ गये थे। आरोपी ने उसे जारे से धक्का दिया था जिससे वह सड़क पर गिर गई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना की रिपोर्ट करने 19 तारीख को गयी थी। वह घटना से घबरा गयी थी। घटना के वक्त उसके पापा और भाई घर पर नहीं थे। उसने पापा और भाई के आने पर घटना की रिपोर्ट की थी।

17. इस प्रकार फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने घटना वाले दिन उसे वैन में बिठाकर अपने साथ चलने को कहा था और जब उसने मना किया था तो आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़कर वैन में बिठाने लगे थे, वह चिल्लाई थी तो हनी और गोलू ने आकर बचाया था, परंतु उक्त सभी तथ्यों का उल्लेख प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी श्वेता के पुलिस कथन में नहीं है। प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी ने जबरदस्ती फरियादी को पकड़कर वैन में बिठाने का प्रयास किया था एवं फरियादी को जोर से धक्का दिया था जिससे वह सड़क पर गिर गयी थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी श्वेता अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से पुष्ट नहीं रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्त्विक है जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि जब आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़कर वैन में बिठाने लगा था तो वह चिल्लाई थी तो मौके पर हनी और गोलू उसे बचाने आये थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह बताया है कि हनी और गोलू आरोपी के जाने के बाद आये थे। आरोपी ने हनी और गोलू को देख लिया था इसके कारण वह भाग गया था। इस प्रकार फरियादी श्वेता अ.सा. 1 के कथन से दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा उक्त बिंदु पर एक समय में भिन्न-भिन्न कथन किये गये हैं। एक तरफ तो उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि जब आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़कर वैन में बिठाने का प्रयास कर रहा था तो हनी और गोलू उसे बचाने आये थे। वहीं दूसरी तरफ उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि हनी और गोलू आरोपी के जाने के बाद आये थे। इस प्रकार फरियादी श्वेता अ.सा. 1 के कथनों से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

19. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने अपने कथन में मौके पर हनी और गोलू को मौजूद होना और हनी और गोलू द्वारा उसे बचाना बताया है, परंतु हनी और गोलू को अभियोजन द्वारा प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। उक्त साक्षीगण को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के शेष साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 एवं पंकज गुप्ता अ.सा. 4 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। उक्त साक्षीगण ने फरियादी श्वेता के बताये अनुसार घटना बतायी है। फरियादी श्वेता अ.सा. 1 के कथनानुसार हनी और गोलू उसके चिल्लाने पर मौके पर आये थे। ऐसी स्थिति में हनी और गोलू प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी थे, परंतु अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। यह तथ्य सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

20. जहां तक साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 एवं पंकज गुप्ता अ.सा. 4 के कथन का प्रश्न है तो उक्त साक्षी अनश्रुत साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण ने फरियादी श्वेता के बताये अनुसार घटना बतायी है। साक्षी कमला अ.सा. 2 एवं चंद्रभान अ.सा. 3 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी

विनोद को नहीं जानते हैं। उन्होंने विनोद को कभी नहीं देखा है, उनके द्वारा फरियादी श्वेता के बताये अनुसार घटना बतायी गयी है। पंकज गुप्ता अ.सा. 4 जो कि फरियादी श्वेता का भाई है ने अपने मुख्य परीक्षण में तो यह बताया है कि वह आरोपी विनोद को जानता है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी को न्यायालय में आने के पहले से नहीं जानता था। न्यायालय में आने से जानता है। इस प्रकार पंकज गुप्ता अ.सा. 4 के कथनों से यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी भी आरोपी को नहीं जानता है।

21. इस प्रकार साक्षी कमला अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3, पंकज गुप्ता अ.सा. 4 के कथन से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षीगण आरोपी विनोद को नहीं जानते हैं। उक्त साक्षीगण घटना के अनूश्रुत साक्षी हैं एवं उनके द्वारा फरियादिया श्वेता के बताये अनुसार घटना बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 16/03/12 के सुबह नौ बजे की है एवं फरियादी श्वेता द्वारा थाने पर रिपोर्ट 19/03/12 को दोपहर 14:30 बजे की गयी है। इस प्रकार फरियादी श्वेता द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के तीसरे दिन अत्यंत विलम्ब से की गयी है। उक्त संबंध में फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह थाने पर रिपोर्ट करने 19 तारीख को गयी थी। घटना वाले दिन उसके पापा और भाई घर पर नहीं थे। पापा और भाई के आने के बाद उसने घटना की रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना के बाद वह स्कूल गयी थी तथा उसने स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रभान सिंह को घटना के बारे में बताया था।

22. इस प्रकार फरियादी श्वेता अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसके पिता व भाई घर पर नहीं थे उसे जानकारी नहीं है कि घटना वाले दिन उसके भाई व पिता कहां गये थे। जबकि कमला गुप्ता अ.सा. 2 जो कि फरियादी श्वेता की मां है ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह और उसके पति घर पर ही थे। कमला अ.सा. 2 ने यह भी बताया है कि घटना वाले दिन जब श्वेता घर लौटकर आयी थी तब उसके पति अर्थात् श्वेता के पिता कचहरी जा चुके थे एवं उसके पति शाम को छः बजे तक कचहरी से आ जाते हैं। अतः कमला गुप्ता अ.सा. 2 के कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना वाले दिन फरियादिया श्वेता के पिता घर पर ही थे, जबकि फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 द्वारा यह बताया गया है कि पिता के घर पर न होने के कारण वह थाने पर रिपोर्ट करने नहीं जा सकी थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी श्वेता अ.सा. 1 एवं कमला अ.सा. 2 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया श्वेता पढ़ी-लिखी महिला है एवं फरियादिया के कथनानुसार वह नवोत्थान विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। फरियादिया द्वारा यह भी बताया गया है कि वह घटना से घबरा गयी थी, परंतु फरियादिया द्वारा यह भी बताया गया है कि वह घटना के बाद स्कूल गयी थी। ऐसी स्थिति में फरियादिया का यह कथन कि वह घटना होने के बाद घबरा गयी थी एवं इस कारण रिपोर्ट करने नहीं जा पायी थी सत्य नहीं है।

24. फरियादिया श्वेता द्वारा यह बताया गया है कि वह पिता व भाई के घर पर न होने के कारण रिपोर्ट करने नहीं आ पायी थी, परंतु साक्षी कमला अ.सा. 2 जो कि फरियादिया की मां है का कहना है कि घटना वाले दिन उसके पति अर्थात् श्वेता के पिता घर पर ही थे। इसके अतिरिक्त साक्षी कमला अ.सा. 2 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी ने उसकी लड़की का हाथ पकड़ लिया था, परंतु यह बात स्वयं फरियादी श्वेता द्वारा नहीं बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदुओं पर फरियादिया श्वेता अ.सा. 1 के कथन साक्षी कमला गुप्ता अ.सा. 2 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

25. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया श्वेता के कथनानुसार वह पढ़ी-लिखी महिला है एवं शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। फरियादी के कथनानुसार आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी वैन में बिठाने का प्रयास किया था एवं उसके गाल पर चांटा मारा था। प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी लगभग 300 मीटर है। यदि वास्तव में घटना दिनांक को फरियादिया के साथ व्यपहरण जैसा गम्भीर अपराध किया जाने का प्रयास किया गया था तो फरियादिया को उसी वक्त उसी

समय पास में स्थित थाने पर रिपोर्ट करनी चाहिए थी, परंतु फरियादिया द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से की गयी है एवं विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी सत्य नहीं है। फरियादिया ने रिपोर्ट लिखे जाने में विलम्ब का कारण पिता व भाई का घर पर न होना बताया गया है जबकि साक्षी कमला गुप्ता जो कि फरियादिया की मां है का कहना है कि घटना वाले दिन उसके पति अर्थात् फरियादिया के पिता घर ही थे। यदि वास्तव में फरियादिया श्वेता के साथ दिनांक 16/03/12 को कथित घटना कारित हुयी थी एवं फरियादिया के पिता भी उक्त दिनांक को मौजूद थे तो फरियादिया द्वारा उसी समय घटना की रिपोर्ट थाने पर करनी चाहिए थी, परंतु फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के तीसरे दिन की गयी है एवं विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी पूर्णतः असत्य है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

26. फलतः उपरोक्त चरणों की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी श्वेता गुप्ता अ.सा. 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी तात्त्विक बिंदुओं पर विरोधाभाषी रहे हैं। प्रकरण में घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से की गयी है एवं विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह भी पूर्णतः असत्य है। घटना के महत्वपूर्ण साक्षियों को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है एवं अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। फरियादी के अतिरिक्त शेष साक्षीगण कमला गुप्ता अ.सा. 2, चंद्रभान अ.सा. 3 एवं पंकज गुप्ता अ.सा. 4 प्रकरण के अनुश्रुत साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी श्वेता गुप्ता की एकल साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

27. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16/03/12 को सुबह नौ बजे नवोत्थान स्कूल के बगल में मील के पास गोहद में फरियादी श्वेता कुमारी को उसकी इच्छित दिशा में जाने से जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया एवं उसी समय फरियादी श्वेता की की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी बीनू उर्फ विनोद को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 341 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

29. समग्र अवलोकन से अभियोजन आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी बीनू उर्फ विनोद को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 341 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

30. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 09 /03 /17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)